को प्रस्तुत ...

19-1-21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने कारण [illegible] समय चाहा। पत्रावली दिनांक 21.1.21 को बहस हेतु दिनांक [illegible] को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

21-1-21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिपक्ष [illegible] मूल बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 29.1.21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

29-1-21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर [illegible] हस्ताक्षर कर जारी किया गया। पत्रावली [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

और प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 1290 अप्रार्थी के खेत से 2 किलोमीटर दुर है, प्रार्थी किसी रह से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि जब खेत खसर नबंर 1290 ीगण के पड़ौस में ही नहीं है तो रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी केसे होगा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ख.न. 1386 के खातेदारों को पक्षकार बनाये बगैर, और प्रार्थी का खेत खसरा अप्रार्थीगण के खेत से 2 किलोमीटर दूर होने से रास्ता की मांग की है जो विधी विरूद्व होने से ज किया जावे। और प्रार्थी से खर्चा हर्जा दिलवाया जावें।

अन्तर्गत धारा 251 अ के तहत दिये जाने वाले रास्ते हेतु उक्त दो बिन्दुओं को देखना त्तं आवश्यक है।

1. आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा :–

जरिये प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस प्रार्थी ने अप्रार्थी के खेत ख.न. 1386 में से रास्ता चाहा है जबकि हस्तगत पत्रावली में जाचं रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है की खसरा नं. 1386 में से तक कोई रास्ता नहीं रहा है तथा न ही पुराने रास्ते के निशानातं मौजुद है जबकि इस खसरा जदीक लगभग 500 मीटर दूर बिरलोका कुड़छी सड़क मार्ग उपलब्ध है और नहीं ही उक्त ा सरल एवं सुगम तथा निकटतम है उक्त प्रावधान केवल आत्यंतिक आवश्यकता के लिए बना की अपनी सुविधा के लिये किसी अन्य का हित को मारने के लिए बना है ।

2. अन्य वैकल्पिक साधनो का अभाव :–

प्रार्थी ने जरिये प्रा.पत्र एव विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अपने य तक पहुॅचनें के लिये उसके पास अन्य वैकल्पिक साधनों का अभाव है। और प्रार्थी अप्रार्थीगण ब्र.न. 1386 में से होकर के ही आते जाते रहे है मगर तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट अनुसार ं इस रास्ता से कभी भी आये गए नहीं है जब प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए अन्य सड़क (वैकल्पिक) रास्ता मौजुद है तो अन्य कोई रास्ता दिया जाना सभंव नहीं है।

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड एवं तहसीलदार खींवसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/जबाब का ध्यान क अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया । उपरोक्त विवेचन आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुॅचा हूॅ की पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन करने से यह द होता है की खसरा नबंर 1386 के सभी खातेदारों को प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है तथा ाये गए पक्षकार) उक्त खातेदार न ही प्रार्थी के पड़ोसी है और प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता 2 ोमीटर दुर है जो तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है। जब प्रार्थी के पास अपने खेतों जाने के लिए वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो अन्य रास्ता सुविधा के लिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि उक्त प्रावधान केवल आत्यंतिक आवश्यकता के लिए बना है न की अपनी सुविधा के ा किसी अन्य का हित को मारने के लिए बना है ।

पत्रावली पर मौजुंद रेकर्ड, तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट, विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ एलआरएक्ट जो स्वीकार योग्य नही ।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र, पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट के आधार प्रार्थी का प्रा.पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) आर. टी. एक्ट को खारिज किया जाता है। कारान अपना अपना खर्चा वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 29.1.21 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर